

अ धि सू च ना


भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: - इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संशोधन नियम, 2000 है।  
§ 1 में ये तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2. नये नियम 22क का अन्तःस्थापन: - राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 1963 के विद्यमान नियम 22 के पश्चात और विद्यमान नियम 23 के पूर्व में लिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्: -

"22क. चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती के पश्चात इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी या विभागाध्यक्ष द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थापित किया जायेगा जहाँ उसे सेवा में पदग्रहण करने के तुरन्त पश्चात 3 वर्ष की कालावधि के लिए सेवा करनी होगी।

स्पष्टीकरण: - "ग्रामीण क्षेत्र" से यह स्थान अभिप्रेत है जो तहसील/उपतहसील मुख्यालय से भिन्न है और नगर पालिका नगर नहीं है।

राज्यपाल के आदेशाधीन

  
§ सहायक कार्मिक  
उपशासन सचिव  
जन श्रमण सचिव  
कार्मिक (क-2) विभाग  
शासन सचिवालय, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN  
DEPARTMENT OF PERSONNEL  
( A-Gr. II )

...

1(2)DOP/A-II/86

Jaipur, dated : 28/8/2000

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution of India, the Governor Rajasthan hereby makes the following rules further to and the Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963, as amended, namely:-

Short title and commencement:- (i) These rules may be called the Rajasthan Medical and Health Service (Amendment) Rules, 2000.

(ii) They shall come into force with immediate effect.

Insertion of new rule 22A:- After the existing rule 22 and before the existing rule 23 of the Rajasthan Medical and Health Service Rules, 1963, the following new rule shall be inserted, namely :-

"22A After recruitment on the post of Medical Officer, the person so appointed shall be posted by the Appointing Authority or Head of the Department in the Rural Area where he shall have to serve for a period of 3 years immediately after joining the service.

Explanation:- "Rural Area" means a place other than Tehsil/Sub-Tehsil Headquarter and which is not a Municipal Town."

By Order and in the name of the  
Governor,

( S.N. Sharma )

Deputy Secretary to the Government.

उप शासन सचिव

कार्यालय (क-2) विभाग

शासन सचिवालय, जयपुर

Jain/288

( 28/8-2000 )